

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 156/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

हंसराज पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र छतुराम जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. रामचन्द्र पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. सावित्री पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
4. पार्वती पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
5. मन्जु पुत्री लालचन्द जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान राज्य मार्फत तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोदकुमार स्वामी वकील-वादी

श्री अंकुर वर्मा वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 30.4.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील उपरोक्त अभिभाषकगण व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम पोहड़का बारानी के जमाबन्दी खाता संख्या 430/350 में पत्थर नम्बर 138/18 (416) किला नम्बर 16 ता 25 की 2.5300 हैक्टेयर पत्थर नम्बर 138/26 (417) किला नम्बर 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25 की 6.2000 हैक्टेयर कुल किता 35 की 8.7300 हैक्टेयर भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.4.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

